

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in

E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मई, 2024, डिस्पैच दिनांक 1 मई, 2024

| वर्ष 67 | अंक 23 | भोपाल | 1 मई, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में शून्य से 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस बगैर वेल्यूकट के उपार्जन करने की अनुमति जारी

विदिशा : कलेक्टर श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने बताया कि प्रदेश में असामयिक बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल प्रभावित (लस्टर लॉस) हो जाने के कारण रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में 0 से 30 प्रतिशत तक लस्टर लॉस बगैर वेल्यूकट के उपार्जन करने की अनुमति जारी की गई है।

कलेक्टर श्री वैद्य ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया कि एफएक्यू अनुसार निर्धारित मापदण्ड में शिथिलता की गई है के अनुसार श्रीवल्ड एंड ब्रोकर ग्रेन्स में 15 प्रतिशत तथा लस्टर लॉस में शिथिलता वृद्धि उपरांत निर्धारित सीमा प्रतिशत 50 एवं डैमेज्ड ग्रेन एवं स्लाइटली डैमेज्ड ग्रेन को मिलाकर शिथिलता (वृद्धि) उपरांत निर्धारित सीमा प्रतिशत 6 कर दिया गया है।

उपार्जन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी

एफएक्यू मापदंड में प्रदान की गई शिथिलता की सीमा तक उपार्जित गेहूं पर पूर्ण समर्थन मूल्य की राशि मय राज्य बोनस (2275+125) = 2400 रुपये के मान से किसानों को भुगतान की जाए।

मापदंड में शिथिलता अनुसार उपार्जित गेहूं के बोरो पर जेड मार्का लाल रंग की स्याही से लगाकर किसानवार पृथक से उपार्जन केन्द्र एवं गोदाम में स्टेकिंग कराई जाए। बोरो पर जेड मार्का इस प्रकार लगाया जाए की वह स्पष्ट रूप से दर्शित हो।

उपार्जन केन्द्र के लॉगिन से Shriv-eled & broken grains, Luster loss, Damaged Grain, Slightly Damaged Grain गेहूं की मात्रा एवं प्रतिशत की जानकारी ई उपार्जन पोर्टल पर प्रविष्टि अनिवार्य रूप से कराई जाए।

उपार्जन केन्द्रों से मापदंड में शिथिलता अनुसार उपार्जित गेहूं का पृथक-पृथक ट्रकों में परिवहन कराया जाए तथा प्रत्येक ट्रक चालान पर चमकविहीन गेहूं का प्रतिशत अंकित किया जाए। एक ट्रक में दोनो प्रकार के गेहूं का परिवहन नहीं कराया जाएगा।

शिथिलता अनुसार गेहूं की प्राप्ति भंडारण स्तर पर होने पर गोदाम प्रभारी द्वारा किसानवार गेहूं का परीक्षण किया



जाएगा एवं किसानवार गेहूं के प्रतिशत का मैनुअल एवं ऑनलाईन जारी किये जाने वाले स्वीकृति पत्रक में प्रविष्टि करेगा।

उपार्जन संस्थाओं से प्राप्त मापदंड में शिथिलता अनुसार गेहूं के ट्रक चालानों में शिथिलता का प्रतिशत दर्ज न होने अथवा एफएक्यू मापदंड में शिथिलता

सीमा में अधिक प्रतिशत का गेहूं पाये जाने पर ट्रकों को भण्डारण हेतु स्वीकार नहीं किया जाए एवं संबंधित उपार्जन केन्द्रों को वापिस किया जायेगा।

भण्डारण एजेन्सी के संग्रहण केन्द्र प्रभारी का दायित्व होगा कि संग्रहण हेतु प्राप्त एफएक्यू एवं मापदंड में शिथिलता अनुसार गेहूं की उपार्जन संस्थावार

पृथक-पृथक स्टेक लगाए जाएं।

8. गेहूं के भंडारण में लगाए जाने वाले स्टेक कार्ड में एफएक्यू अथवा मापदंड में शिथिलता का पूर्ण विवरण अंकित किया जाएगा, जिसमें ट्रक चालान में उल्लेखित चमकविहीन प्रतिशत को दर्ज किया जाएगा।

भण्डारण एजेन्सी द्वारा स्वयं एवं संयुक्त भागीदारी योजना एवं अन्य अनुबंधित गोदाम मालिकों को लिखित में निर्देशित किया जाये कि एफएक्यू एवं चमकविहीन गेहूं को पृथक-पृथक संस्थावार स्टेक लगाकर भण्डारित कराया जाए।

एफएक्यू मापदंड में शिथिलता अनुसार गेहूं का उपार्जन, परिवहन, भंडारण एवं उसके प्रतिशत के निर्धारण आदि की जानकारी प्रदान करने हेतु उपार्जन कार्य में संलग्न कर्मियों यथा- उपार्जन संस्था प्रभारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वेयर तथा उपार्जन, भंडारण एजेन्सी के गोदाम में कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण उपार्जन एजेन्सी द्वारा दिया जाए।

अतः निर्देशित किया गया है कि उपरोक्तानुसार एवं दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित उपार्जन केन्द्र प्रभारी एवं समिति प्रबन्धक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

दो कृषि उद्यमियों को इफको ने दिये ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल फसल पर उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव में होगा इस्तेमाल

जबलपुर : इफको द्वारा जिले के दो युवा कृषि उद्यमियों नीलेश पटेल एवं हरिकृष्ण लोधी को एक-एक ड्रोन एवं एक-एक इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराया गया है। ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल फसलों पर उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के लिये किया जायेगा। निर्धारित शुल्क चुकाकर किसान इनका इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकेंगे। ड्रोन एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल वितरण के दौरान उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास रवि आम्रवंशी, सहायक संचालक अमित पांडे एवं इफको के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा भी मौजूद थे।

दोनों कृषि उद्यमियों को ड्रोन के साथ 25 हजार एमएएच बैटरी सेट, फ्लैट जेट का एक सेट, ड्रोन बॉक्स के साथ सेंट्रीफ्यूगल नोजल का एक सेट, डीसीएस रिमोट, एक बैटरी चार्जर और दो फास्ट चार्जिंग हब तथा मैनुअल एवं



लॉग के साथ एनीमोमीटर और पीएच मीटर के साथ टूल बॉक्स भी प्रदान किये गये हैं। इनके अलावा 25 हजार एमएएच के तीन अतिरिक्त बैटरी सेट, एक अतिरिक्त डुअल चैनल फास्ट बैटरी चार्जर, छह पोर्ट के साथ एक अतिरिक्त बैटरी चार्जर हब, एक अतिरिक्त प्रोपेलर प्रति सेट भी दिया गया है।

इफको द्वारा युवा कृषि उद्यमियों को दिये गये ड्रोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रत्येक सेट की कीमत 14 से 15 लाख बताई गई है। इसमें करीब 8 लाख का ड्रोन, लगभग 5 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल और 2 लाख रुपये के अन्य उपकरण शामिल हैं। कृषि में ड्रोन तकनीकी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित

करने उद्देश्य से दोनों कृषि उद्यमियों को ये निःशुल्क उपलब्ध कराए गये हैं।

उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आम्रवंशी ने बताया कि ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया एवं डीएपी का अपने खेत में छिड़काव करने हेतु कृषकों को 300 रुपये प्रति एकड़ शुल्क देना होगा। छिड़काव के लिये नैनो यूरिया एवं डीएपी कृषक को स्वयं क्रय कर उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने बताया कि किसान गूगल प्ले स्टोर से "इफको किसान उदय" एप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मोबाइल एप के माध्यम से किसानों को उनके क्षेत्र के पास उपलब्धता के आधार पर ड्रोन छिड़काव हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। इस एप के माध्यम से नैनो उर्वरकों के छिड़काव हेतु ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर किसान समय, श्रम, पानी एवं लागत में कमी कर उत्पादन बढ़ाकर लाभान्वित होंगे। साथ ही मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी ड्रोन तकनीकी सक्षम है।

मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

धार : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में ई-मतदाता परिचय पत्र आयोग की वेबसाइट <https://voters.eci.gov.in/k> से डाउनलोड किया जाकर मतदान किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञात हो कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता की पहचान के लिये आयोग द्वारा जारी मतदाता का फोटो युक्त परिचय पत्र के साथ-साथ जो 12 अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है, उनमें ई-मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र शासन, राज्य शासन, लोक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।



विशेष प्रकार के सायबर अपराधों ठगी की शिकायत देखने में आ रही है इन्वेस्टीगेशन एजेंसियों के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी

सीहोर : पिछले कुछ समय से एक विशेष प्रकार के सायबर अपराधों की शिकायत देखने में आ रही है, जिसमें आम नागरिकों को किसी इन्वेस्टीगेशन एजेंसी/संस्था के वरिष्ठ अधिकारी के नाम से कॉल/व्हाट्सएप कॉल करके बड़े पैमाने पर ठगी के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर पुलिस भोपाल द्वारा आम नागरिकों को सलाह। खुद को साइबर ठगों से बचाने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता व सतर्कता लालच और लापरवाही के कारण साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं।

कार्य प्रणाली

पिछले कुछ समय से एक विशेष प्रकार का अपराध देखने में आ रहा है, जिसमें सायबर अपराधी कॉल अथवा व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। यह कॉल अधिकांशतः +92 (पाकिस्तानी) नम्बर या किसी अन्य देश के नम्बर(+91 के अतिरिक्त) से आते हैं। संदिग्ध व्यक्ति कॉल करके आपको डराते हुये यह कहते हैं कि आपके PAN / AADHAR कार्ड का उपयोग करके पार्सल भेजा गया है, जिसमें नार्कोटिक्स (नशीली) सामग्री है। जालसाज NCB/CBI/ED/NIA आदि इन्वेस्टीगेशन एजेंसी के अधिकारी के नाम से बदल-बदल कर कभी कॉल, कभी व्हाट्सएप



वीडियो कॉल करते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा है, जिसमें नार्कोटिक्स (नशीली) सामग्री है।

जालसाजों द्वारा कभी आपको कोर्ट फीस देने या जमानत देने के नाम से अथवा आपका नाम केस से हटाने के नाम पर पैसे की मांग की जाती है। कभी-कभी

वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी से बात करने को भी कहते हैं। वीडियो कॉल पर रहते हुये आपको एक फर्जी नोटिस दे दिया जाता है, जिसमें आपको डिजिटल अरेस्ट करते हुये घर में ही रहने को कहा जाता है। और कहा जाता है कि आप स्वयं को किसी कमरे में बंद कर लें तथा उनके सभी सवालियों के जवाब दें। यह भी

कहा जाता है कि कैमरे के सामने ही रहना है, कमरे में यदि कोई और आया तो आप दोनों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। धीरे-धीरे आपको और अधिक डराया जाता है और आपकी निजी व खातों तथा विभिन्न इन्वेस्टमेंट की जानकारी आपसे ले ली जाती है। अंत में यह कहकर कि शायद आपको गलत फंसा दिया गया

है, आप जांच पूरी होने तक अपना पैसा आरबीआई/भारत सरकार के खाते में जमा कर दें, जो जांच पूरी होने के बाद आपको लौटा दिया जायेगा। इस पूरी कार्यवाही के दौरान आपको न ही किसी से संपर्क करने का मौका दिया जाता है, न ही बाहर जाने दिया जाता है और इस प्रकार आपसे मोटी रकम जमा करा ली जाती है।

एहतियात- अनजान नम्बर खासकर जो +92 से शुरू होते हों, से आने वाले कॉल, व्हाट्सएप कॉल/वीडियो कॉल, टेलीग्राम कॉल न उठाएं। भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई नियम नहीं है। अतः किसी के कहने पर या डर से खुद को कहीं बंद न करें। अपनी निजी जानकारी जैसे बैंक खाते संबंधी, आधार आदि को किसी के साथ साझा न करें। कोई भी संस्था आपसे आपका निजी पैसा किसी भी शासकीय खाते में जमा करने या सुरक्षित करने की सलाह नहीं देता। अतः कभी भी अपना पैसा किसी अनजान खाते में ट्रांसफर न करें। यदि आपके साथ कोई सायबर अपराध घटित होता है तो उसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या Cyber Crime Help Line (Toll Free) नम्बर 1930 पर करें।

कुक्कुट की पोषण संबंधी आवश्यकताएं एवं कम लागत में आहार गणना

भोपाल: मांस एवं अंडे हेतु व्यवसायिक कुक्कुट पालन गहन उत्पादन प्रणाली में किया जा रहा है। इसके विपरीत मुक्त सीमा प्रणाली या व्यापक विधि सबसे पुरानी है और सदियों से इसका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ अर्थ गहन प्रणाली का क्षेत्र सीमित है और इस प्रणाली में उन्नत देसी मुर्गियों और बतखों को पाला जाता है। व्यापक विधि में पाले जाने वाली मुर्गियों की संख्या निम्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे- मुर्गियों के आकार, प्रकार, सफाई क्षेत्र एवं उपलब्ध आहार संसाधन आदि।

आहार में पोषक तत्व की महत्ता

ऊर्जा और प्रोटीन मुर्गी आहार के दो प्रमुख पोषक तत्व हैं। ऊर्जा की आवश्यकता सभी जैविक गतिविधियों (जैसे- गति, चलना, श्वसन, दिल की धड़कन एवं हाँफना आदि), महत्वपूर्ण गतिविधियों (जैसे- ग्रहण, पाचन, अवशोषण आदि) एवं शरीर में होने वाली रासायनिक गतिविधियों (जैसे- प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि का संश्लेषण) के लिए होता है साथ ही साथ ऊर्जा, शरीर के संरचनात्मक घटक जैसे प्रोटीन एवं वसा या ग्लाइकोजन जैसे स्रोतों के रूप में संचित रहती है और जब कभी महत्वपूर्ण या रासायनिक गतिविधियों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब शरीर में उपस्थित इन्हीं एकत्रित स्रोतों का उपयोग किया जाता है। आहार में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी या जूल के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक किलो कैलोरी 4.184 किलो जूल के बराबर होती है। शरीर में ऊर्जा की आवश्यकताओं को चयापचय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है।

दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रोटीन है जो शरीर के संरचनात्मक कार्यों, मांसपेशियों के संकुचन, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के परिवहन, एसिड बेस संतुलन, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिरक्षा क्षमता, रासायनिक विनिमय, हार्मोन्स, रक्त का थक्का जमना, वृद्धि और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुक्कुट को प्रोटीन संश्लेषण और अन्य जैविक कार्यों के लिए सभी 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। सामान्य वृद्धि एवं उत्पादक कार्यों के लिए शरीर को आवश्यक अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं इसलिए आहार के माध्यम से इन अमीनो अम्लों की पूर्ति की जाती है। आवश्यक अमीनो अम्ल जैसे हिस्ट्रीडायन, आइसोलुएसीन, लायसिन, मेथिओनीन आदि।

सीमित अमीनो अम्ल वे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जिनकी आमतौर पर आहार में कमी होती है। मांस उत्पादन

हेतु मुर्गियों में मेथिओनीन प्रथम सीमित अमीनो अम्ल है। थ्रिओनिन ब्रायलर एवं लेयर कुक्कुट में क्रमशः तृतीय और प्रथम सीमित अमीनो अम्ल है। आदर्श प्रोटीन अवधारणा के अनुसार उच्च वृद्धि एवं उत्पादन हेतु नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी को कम करके वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों के रूप में सुपाच्य अमीनो अम्ल को शामिल किया जा सकता है।

मुर्गी आहार का लगभग 60 से 70 प्रतिशत भाग ऊर्जा के रूप में होता है जिससे आहार निर्माण के समय आहार लागत को कम करने और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा युक्त आहार को दो भागों में विभाजित किया गया है। उच्च ऊर्जा के स्रोत जैसे मक्का, गेहूँ, कनकी, ज्वार, वसा एवं तेल आदि तथा बाजरा एवं छोटे अन्य बाजरा, पॉलिश चावल, चोकर, तेल रहित चावल की भूसी, गेहूँ की भूसी, गुड आदि निम्न ऊर्जा के स्रोत में शामिल है। इन स्रोतों में से मक्का, मुर्गी आहार का प्रमुख स्रोत है। अगर कम दामों में मक्का के अलावा अन्य स्रोत उपलब्ध हो तो इनका भी प्रयोग मुख्य स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

भुना हुआ पूर्ण वसा युक्त सोयाबीन ब्रायलर मुर्गी के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन और वसा का स्रोत है। पशु प्रोटीन में मछली, घुलनशील मांस सह हड्डी, रक्त और मुर्गी उत्पाद जैसे स्रोत शामिल है। इनमें से मछली आहार सबसे उत्तम है इसके साथ ही साथ सिंथेटिक अमीनो अम्ल जैसे एल लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, डी एल मेथिओनिन आदि बाजार में उपलब्ध है।

खनिज लवणों की आपूर्ति मुर्गी के आहार में दो तरीकों से की जाती है। तैयार खनिज लवणों के माध्यम से या विशिष्ट खनिज लवणों से खनिज मिश्रण बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है या इसे मिश्रित किया जा सकता है। मुर्गी आहार में कैल्शियम स्रोत के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट, आयस्टर शेल, संगमरमर आदि का उपयोग किया जाता है। आहार

में कैल्शियम एवं फास्फोरस स्रोत के रूप में डाई कैल्शियम, मोनो कैल्शियम आदि का उपयोग किया जाता है। आहार में सोडियम एवं क्लोरीन स्रोत के रूप में साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म खनिज मिश्रण जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज आदि को प्रीमिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। जैविक सूक्ष्म खनिज मिश्रण व्यवसायिक तौर पर बाजार में उपलब्ध है और उनकी जैव उपलब्धता काफी बेहतर होती है।

मुर्गी आहार का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग विटामिन है। आहार में विटामिन की पूर्ति मिश्रण द्वारा आहार में मिश्रित करके या अकेले विटामिन के माध्यम से पूर्ति की जाती है। बाजार में उपलब्ध विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहले पानी में घुलनशील विटामिन जैसे सभी प्रकार के बी विटामिन एवं विटामिन सी (7.5 से 25 ग्राम प्रति क्विंटल आहार में) एवं दूसरा पानी में अघुलनशील विटामिन जैसे विटामिन ए, के, डी 3 और ई (5 से 15 ग्राम प्रति क्विंटल आहार में) दिया जा सकता है।

पूरक आहार

मुर्गी आहार में पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य तत्व भी मिलाये जाते हैं जिससे संक्रामक रोगों से संक्रमण रोकने या संक्रमण कम करने में मदद मिलती है साथ ही साथ पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार में कम मात्रा में एंटीबायोटिक का उपयोग विश्व भर में 50 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। इसके उपयोग से ब्रायलर कुक्कुट में शारीरिक वृद्धि एवं आहार का मांस में रूपांतरण अनुपात में बढ़त देखी गई है साथ ही साथ अंडे देने वाले कुक्कुट में अंडे उत्पादन में वृद्धि होती है। कभी-कभी आहार में प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक जो की जीवित जीवाणु एवं ईस्ट का मिश्रण है, का उपयोग सूक्ष्मजीवों की कॉलोनी को बनने से रोकने के लिए किया जाता है। आहार में एंजाइम का उपयोग पोषक तत्वों को

अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा मुर्गी आहार में कोक्सीडीओसिस के जीवाणुओं को रोकने के लिए कोक्सीडीओस्टेट का उपयोग किया जाता है।

पोषक तत्वों की आवश्यकताएं

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बी आई एस 1992) मानक अनुसार वर्तमान समय में आहार में उपस्थित पोषक तत्वों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं क्योंकि प्रबंधन, वातावरण का तापमान, शरीर की आंतरिक संरचनाएं, चयापचय क्रियाएं आदि परिवर्तनीय हैं। आहार में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं (बीआईएस 1992 के अनुसार) बहुत पुरानी है और वर्तमान समय में मुर्गी आहार व्यवसायिक आधार की गणना अनुसार चल रहा है। हाल ही में कुक्कुट के पोषक तत्वों की गणना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा की जा रही है।

ब्रायलर कुक्कुट की दो अवस्था होती है जैसे स्टार्टर (0 से 3 सप्ताह तक) एवं फिनिशर (4 से 6 सप्ताह तक)। दिन प्रतिदिन ब्रायलर की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकताएं प्रतिदिन वजन दर और चयापचय क्रियाओं के आधार पर होती है।

अंडे देने वाली मुर्गी या लेयर की मुख्य तीन अवस्था होती है जैसे स्टार्टर (0 से 8 सप्ताह), ग्रोवर (8 से 20 सप्ताह) एवं लेयर (20 सप्ताह से अधिक)। अंडे देने वाली मुर्गियां एवं अंडे देने से पहले उम्र वाले कुक्कुट (20 सप्ताह के करीब) के आहार में मुख्य रूप से कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अंडे देने की प्रक्रिया को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था (20 से 30 सप्ताह) एवं दूसरी अवस्था (30 सप्ताह से अधिक)। अंडे देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन 16 से 18 ग्राम प्रोटीन एवं 285 से 290 किलो चयापचय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि एवं विकास के लिए आहार में कैल्शियम की आवश्यकता होती

है पर अंडे देने की अवस्था में यह आहार में बहुत जरूरी होता है। अंडे देने वाली मुर्गियां को प्रतिदिन 3.8 से 4.2 ग्राम कैल्शियम आहार के माध्यम से पूर्ति हो।

आहार तैयार करना

संतुलित आहार तैयार करना एक गणितीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा तैयार आहार अपना अधिकतम प्रदर्शन प्रदर्शित कर सके एवं कुक्कुट कम लागत में एवं बिना किसी तनाव के आसानी से पाला जा सके।

पोषक तत्वों की आवश्यकताएं – विभिन्न वर्गों के कुक्कुटों के आहार में आवश्यक पोषक तत्व जैसे ऊर्जा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, खनिज लवण एवं विटामिन की आवश्यकता होती है।

आहार संगठन का मूल्य – कुक्कुट के आहार में उपस्थित पोषक तत्वों का आकलन आहार में उपस्थित विभिन्न सामग्री या अवयव पर निर्भर करता है परंतु आहार में उपस्थित विभिन्न सामग्री के पोषक तत्वों का आकलन करना मुश्किल है। अतः आहार की गुणवत्ता को अच्छा बनाकर पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। आहार में उपस्थित विभिन्न सामग्री के पोषक तत्वों को पहले से प्रकाशित आहार संगठन के आधार पर आकलन कर उपयोग में लाया जा सकता है।

स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग कम से कम लागत में करके अच्छा आहार मिश्रण बनाया जा सकता है परंतु इन सामग्रियों में कुछ पोषक विरोधी पदार्थ होते हैं। जिससे पोषक तत्वों का संतुलन आहार स्वाद में कमी एवं कुक्कुट के प्रदर्शन में कमी आती है। आहार में यदि सीमा से अधिक पोषक विरोधी पदार्थ उपस्थित हो तो कुक्कुट बीमार पड़ जाते हैं।

आहार सामग्री की उपलब्धता

एवं लागत

संतुलित आहार बनाने हेतु स्थानीय बाजार में उपलब्ध आहार सामग्री की उपलब्धता और उसकी लागत का ज्ञान होना आवश्यक है। आहार सामग्री के गुणवत्ता एवं लागत आज के समय में विचार का विषय है। आहार सामग्री की लागत सामग्री में उपस्थित प्रोटीन एवं ऊर्जा पर निर्भर करती है। यदि हम अच्छी गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग आहार बनाने में करते हैं तो उसकी लागत काफी अधिक होती है।

आहार तैयार करने की

विधियां

निम्न विधियों द्वारा आहार तैयार किया जा सकता है जैसे एलजेब्रलिक इक्वेशन, पियर्सन स्क्वायर, हिट एंड ट्रायल विधि एवं लीस्ट कॉस्ट फॉर्मूलेशन।

धान की खेती के साथ मछली पालन

भोपाल: भारत में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पूरे देश में 36.95 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है। देश में प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु हैं। कई बार धान फसल की कटाई के बाद किसानों को अगली फसल बोने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में इस लेख में हम आपको ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे धान की खेती कर रहे किसान दोगुना मुनाफ़ा कमा सकते हैं। इस खास तरीके की खेती को धान संग मछली पालन (Fish-Rice Farming) कहा जाता है।

धान संग मछली पालन के तहत किसान एक साथ धान की खेती और मछली पालन कर सकते हैं। इस तरह की खेती का चलन चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलिपिंस, थाईलैंड में बढ़-चढ़कर है। भारत में हालांकि ये तकनीक अभी कम प्रचलित है, लेकिन इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में धान संग मछली पालन के ज़रिए किसान दोगुनी कमाई कर रहे हैं।

भारत में मछली की प्रमुख नस्ल

मीठे पानी में मछली पालन के लिए विशेष जाति (नस्ल) की मछलियों का ही चयन किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से कतला, रोहू (लेबियो), म्रगल, आदि देशी मछलियाँ प्रमुख हैं। इसके अलावा विदेशी मछलियों में जैसे सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, ग्रासकार्प को सम्मिलित किया जाता है।

मछलियों के लिए भोजन सामग्री

जलाशय में मछलियों को दो प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है।

- प्राकृतिक भोजन (Natural food)– यह सूक्ष्म पादप एवं सूक्ष्म जन्तु होते हैं, इनका उत्पादन नियमित होता रहे, इसके लिए कृत्रिम खाद एवं उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जैविक खाद और मृगियों की बीट डाली जाती है। जल की अम्लीयता को कम करने के लिए चुने की अल्प मात्रा भी मिलाई जाती है। प्राकृतिक भोजन के साथ साथ मछलियों की उपयुक्त एवं तीव्र वृद्धि के लिए कृत्रिम भोजन का अपना महत्व है। इनमें चावल की भूसी, अनाज के टुकड़े, चावल का चापड़, सोयाबीन, खमीर, बादाम की खली आदि प्रमुख हैं।
- जीरे का संचय- छोटी मछलियों को जीरा कहते हैं। जीरे की लम्बाई 1 से



1.5 इंच की होती है। तालाब में जीरे की निश्चित मात्रा ही डाली जानी चाहिए। तालाब में डालने से पूर्व इन्हें कुछ समय के लिए 3 प्रतिशत नमक अथवा पोटेशियम परमैंगेनेट के घोल में रखना चाहिए जिससे ये परजीवी मुक्त हो सके।

- जीरा तीन चार माह के बाद अंगुलिकाएं बन जाती है। इसकी लम्बाई तीन से चार इंच की होती है। यही अवस्था 6 से 12 माह में वृद्धि कर वयस्क मछली में बदल जाती है।

किस तरह का खेत सबसे बेहतर

इस तरह की खेती के लिए निचली ज़मीन वाले खेत का चुनाव किया जाता है। इस तरह के खेत में आसानी से पानी

इकट्ठा रहता है। साथ ही खेत को तैयार करने के लिए जैविक खाद पर ही निर्भर रहना चाहिए। आमतौर पर मीडियम टेक्सचर वाली गाद वाली मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है।

कैसे की जाती है फ़िश-राइस फ़ार्मिंग

इस तकनीक के तहत धान की फसल के लिए जमा पानी में ही मछली पालन किया जाता है। धान के खेत में जहां मछलियों को चारा मिलता है, वहीं मछली द्वारा निकलने वाले वेस्ट पदार्थ धान की फसल के लिए जैविक खाद का काम करते हैं। इससे फसल भी अच्छी होती है और मछली पालन भी होता है। किसानों को इस तरह 1.5 से 1.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति सीज़न के हिसाब से मछली

की उपज मिल सकती है।

क्यों बेहतर है फ़िश-राइस फ़ार्मिंग

धान के खेत में मछली पालन करने की वजह से फसल को नुकसान पहुंचने का खतरा न के बराबर रहता है। धान के खेत में मछली धान की सड़ी-गली पत्तियों एवं अन्य खरपतवारों, कीड़े-मकोड़ों को खा जाती है। इससे फसल की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही धान के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। साथ ही इस तकनीक से जल और ज़मीन का किफायती उपयोग होता है। धान की फसल काटने के बाद खेत में फिर से पानी भरकर मछली पालन किया जा सकता है।

इस तरह की खेती के क्या फायदे हैं?

- मिट्टी की सेहत और उत्पाकता बढ़ती

है।

- प्रति यूनिट एरिया पर कमाई बढ़ती है।
- उत्पादन खर्च कम होता है।
- फार्म इनपुट की कम ज़रूरत पड़ती है।
- किसानों के लिए एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनता है।
- पारिवारिक इनकम सपोर्ट मिलता है।
- फैमिली लेबर का पूरा और सदुपयोग।
- केमिकल उर्वरक पर कम खर्च
- किसानों के संतुलित व पौष्टिक
- किसानों की स्टेटस और जीविका में सुधार

फ़िश-राइस फ़ार्मिंग करते हुए इन बातों का रखें ध्यान

धान के साथ मछली पालन करते वक़्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में अधिक से अधिक पानी रोकने की क्षमता हो। खेत में पानी की उचित व्यवस्था मछली पालन के लिए आवश्यक है। इसमें किसान अपने खेत के चारों तरफ जाल की सीमा बनाकर इस पद्धति से खेती कर सकते हैं, ताकि खेत में पानी जमा रहे और मछलियां बाहर नहीं जा पाएं। धान संग मछली पालन पद्धति में मछलियों की चोरी तथा पक्षियों से सुरक्षा के उपाय पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान रहे कि इस तरीके से मछलियों का उत्पादन खेती, प्रजाति और उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। इस प्रकार की खेती सीमान्त एवं लघु किसानों की आर्थिक उन्नति और प्रगति में विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

जैविक खेती कर रहे किसानों में बढ़ा प्रमाणीकरण के प्रति रुझान तीन और किसानों ने किया आवेदन

कृषि अधिकारियों ने किया निरीक्षण जिले में 1780 किसान कर रहे हैं जैविक खेती

जबलपुर : किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जैविक खेती अपनाने के साथ-साथ जिले में अब किसानों का रुझान जैविक प्रमाणीकरण की ओर भी बढ़ता जा रहा है। जैविक खेती कर रहे किसानों को अब यह बात समझ में आने लगी है कि बाज़ार में बढ़ती मांग को देखते हुये उनके उत्पादों की स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच बनाने के लिये तथा अच्छी कीमत प्राप्त करने के लिये उनकी कृषि भूमि का जैविक प्रमाणीकरण होना ज़रूरी है।

परियोजना संचालक आत्मा डॉ एस के निगम के मुताबिक जबलपुर जिले में कई किसान प्राकृतिक जैविक खेती कर रहे हैं किन्तु अभी तक उनकी रुचि अपनी कृषि भूमि के जैविक प्रमाणीकरण में नहीं



थी। कृषि अधिकारियों द्वारा जैविक खेती कर रहे किसानों को जैविक प्रमाणीकरण से होने वाले फायदों की जानकारी दिये जाने पर उनका रुझान अब इस ओर बढ़ने

लगा है।

डॉ निगम ने बताया कि जिले में फिलहाल 1 हजार 780 किसान जैविक खेती कर रहे हैं। इनमें से 9 किसान अपनी

कृषि भूमि का जैविक प्रमाणीकरण करा भी चुके हैं। इन किसानों के उत्पादों को मिल रही अच्छी कीमत को देखते हुये और विभागीय अधिकारियों के प्रयासों के फलस्वरूप पिछले वर्ष दो तथा इस वर्ष तीन और किसानों ने जैविक प्रमाणीकरण के लिये आवेदन दिया है। इस वर्ष जैविक प्रमाणीकरण के लिये आवेदन देने वाले किसानों में हृदय नगर (सिहोरा) के कृषक जयराम केवट राय सिमरिया (सिहोरा) की कृषक श्रीमति सुधा गुप्ता एवं ककरेहटा (पाटन) के कृषक जसवंत पटेल शामिल हैं। इन कृषकों ने कृषि विभाग के विकासखंड स्तरीय अमले के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण के लिये अपना आवेदन भोपाल स्थित मध्यप्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्थान भोपाल में प्रस्तुत किया है।

प्रत्येक आधुनिक किसान के लिए आवश्यक उपकरण

पारंपरिक तरीकों से खेती

पारंपरिक तरीकों से खेती करना एक श्रमसाध्य और समय लेने वाला कार्य है। लेकिन हाल के वर्षों में, कृषि क्षेत्र में परिवर्तनों और प्रौद्योगिकियों में वृद्धि देखी गई है। खेती में आधुनिक तकनीक ने कृषि परिदृश्य में उत्पादक क्रांति ला दी है। इन परिवर्तनों ने खेती को पहले से कहीं अधिक आसान, अधिक कुशल, टिकाऊ और अधिक उत्पादक बना दिया है।

हालाँकि, किसान अपनी उपज को अधिकतम करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए स्मार्ट खेती का विकल्प चुन रहे हैं। हालाँकि, इस विकास के साथ, किसानों के लिए आधुनिक खेती के लाभों का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए उन्नत कृषि उपकरण और उपकरण आवश्यक हो गए हैं। ये उपकरण और उपकरण कृषि के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

1.1 ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी

कई वर्षों से, ट्रैक्टर खेती की रीढ़ रहे हैं, लेकिन आधुनिक संस्करण अतीत की सरल मशीनों से बहुत अलग हैं। आधुनिक ट्रैक्टर ऑटो-स्टीयरिंग, जीपीएस सिस्टम और सटीक नेविगेशन जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आते हैं। ये विशेषताएँ दक्षता बढ़ाने के अलावा अपशिष्ट और ओवरलैपिंग कार्य को कम करके बेहतर उपज परिणाम देती हैं। एक समकालीन फार्म में कंबाइन हार्वेस्टर, हल और बीज ड्रिल जैसे विशेष उपकरण शामिल होने चाहिए क्योंकि वे रोपण और कटाई कार्यों में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.2 ड्रोन और यूएवी

ड्रोन, जिसे मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) के रूप में भी जाना जाता है, ने संचालित खेती के स्तर को बढ़ा दिया है। किसान कैमरे और सेंसर वाले ड्रोन के माध्यम से फसल के स्वास्थ्य, नमी के स्तर और कीड़ों के संक्रमण के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान इस जानकारी का उपयोग समस्या क्षेत्रों की पहचान करने, डेटा-संचालित विकल्प बनाने और जहां आवश्यक हो वहां उपचार करने के लिए कर सकते हैं। बड़े क्षेत्र जिनमें मैनुअल रूप से निगरानी करना चुनौतीपूर्ण है, ड्रोन के उपयोग से सबसे अधिक लाभ होता है, जिससे अंततः समय और संसाधनों की बचत होती है।

1.3 परिशुद्ध खेती सॉफ्टवेयर

आधुनिक कृषि मशीनरी की मांसपेशियों को सटीक कृषि सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर उपकरण जीपीएस, ड्रोन और सेंसर सहित कई स्रोतों से डेटा का उपयोग करके क्षेत्रों के गहन मानचित्र तैयार करते हैं। इन मानचित्रों का उपयोग किसानों द्वारा मिट्टी की संरचना, नमी की मात्रा और पोषक तत्व वितरण में परिवर्तन की जांच करने के लिए किया जा सकता है। वे अब उत्पादन को अधिकतम करने और अपशिष्ट को कम करने के लिए अपनी रोपण, सिंचाई और उर्वरक रणनीति को समायोजित कर सकते हैं।

1.4 मृदा सेंसर

स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ फसलों का आधार है। मृदा सेंसर की बदौलत किसान

नमी की मात्रा, तापमान और उर्वरक के स्तर सहित महत्वपूर्ण कारकों पर नजर रख सकते हैं। किसान इस वास्तविक समय के डेटा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें कब खाद देनी है और सिंचाई की योजना बनानी है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि फसलों को सही समय पर उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलें। इससे न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि जल संरक्षण में भी मदद मिलती है और अति-निषेचन में कमी आती है।

1.5 स्वचालित सिंचाई प्रणाली

कृषि क्षेत्र में पानी की कमी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस समस्या को स्वचालित सिंचाई प्रणालियों द्वारा हल किया जाता है, जो पानी को ठीक उसी समय वितरित करती है जब और जहां इसकी आवश्यकता होती है। मिट्टी के सेंसर, मौसम की भविष्यवाणी और यहां तक कि उपग्रह डेटा से मिली जानकारी का उपयोग करके इन प्रणालियों द्वारा आदर्श पानी देने का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। किसान बेहतर फसलें उगा सकते हैं और पानी की बर्बादी को कम करके और पानी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करके जल संरक्षण पहल में सहायता कर सकते हैं।

1.6 ऊर्ध्वाधर कृषि उपकरण

जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, सीमित स्थानों में भोजन उगाने के लिए ऊर्ध्वाधर खेती एक व्यावहारिक विधि के रूप में विकसित हुई है। वर्टिकल हाइड्रोपोनिक टावरों और एलईडी ग्रो लाइट्स जैसे विशेष उपकरणों की बदौलत किसान पारंपरिक मिट्टी-

आधारित खेती की सीमाओं के बिना घर के अंदर फसल का उत्पादन कर सकते हैं। इस विनियमित वातावरण से साल भर की कृषि संभव हो पाती है, जो खराब मौसम से भी सुरक्षा प्रदान करती है और प्रति वर्ग फुट बेहतर पैदावार की संभावना भी प्रदान करती है।

1.7 पशुधन निगरानी प्रौद्योगिकी

आधुनिक तकनीक पशुधन उत्पादकों को कृषि प्रबंधन और पशु देखभाल को बढ़ाने के लिए उपकरण प्रदान करती है। व्यक्तिगत जानवरों के स्वास्थ्य और व्यवहार को पहचानने योग्य सेंसर के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है, जिससे बीमारियों और तनाव का शीघ्र निदान किया जा सकता है। स्वचालित आहार कार्यक्रम यह गारंटी देते हैं कि जानवरों को उचित मात्रा में भोजन मिले, अपशिष्ट को रोका जा सके और स्वस्थ विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ये नवाचार जानवरों के कल्याण और खेत की सामान्य उत्पादकता दोनों को बढ़ाते हैं।

1.8 रोबोटिक सिस्टम

फार्म पर, रोबोट उन कर्तव्यों को संभाल रहे हैं जो पहले श्रम और समय-गहन थे। ये रोबोट उत्पादन बढ़ाते हैं और शारीरिक श्रम की आवश्यकता को कम करते हैं, आक्रामक पौधों को सटीक रूप से लक्षित करने वाले रोबोटिक खरपतवार से लेकर डेयरी फार्मों में स्वचालित दूध देने वाली प्रणालियों तक। रोबोटिक प्रणालियाँ कई समकालीन फार्मों में होने वाली श्रम की कमी की समस्या को कम करने में मदद करती हैं।

1.9 नवीकरणीय ऊर्जा समाधान

आधुनिक खेती स्थिरता से अत्यधिक चिंतित है। किसानों के पास सौर पैनलों और पवन टरबाइन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों की मदद से साइट पर स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करने का मौका है, जो उन्हें जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर होने में मदद करता है और उनके परिचालन खर्च को कम करता है। यहां तक कि अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में वापस बेचने से भी फार्म को अतिरिक्त आय मिलेगी।

1.10 फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर

डेटा-संचालित कृषि के युग में फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर आवश्यक है। ये प्लेटफॉर्म किसानों को उपकरण, सेंसर और मौसम की भविष्यवाणी जैसे कई स्रोतों से डेटा के संग्रह, संगठन और विश्लेषण में सहायता करते हैं। इस डेटा को समेकित करके, किसान अपने रोपण, कटाई और संसाधन आवंटन की बेहतर योजना बनाने में सक्षम होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बेहतर फसल प्रदर्शन और लाभप्रदता में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष

डेटा-संचालित कृषि के युग में फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर आवश्यक है। ये प्लेटफॉर्म किसानों को उपकरण, सेंसर और मौसम की भविष्यवाणी जैसे कई स्रोतों से डेटा के संग्रह, संगठन और विश्लेषण में सहायता करते हैं। इस डेटा को समेकित करके, किसान अपने रोपण, कटाई और संसाधन आवंटन की बेहतर योजना बनाने में सक्षम होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बेहतर फसल प्रदर्शन और लाभप्रदता में वृद्धि होती है।

टमाटर की वैज्ञानिक खेती अपनाकर आमदनी बढ़ायें

नरसिंहपुर: टमाटर की वैज्ञानिक खेती अपनाकर आमदनी बढ़ायें – टमाटर वर्ष भर उगाया जा सकता है तथा इसका उत्पादन करना बहुत सरल है। टमाटर का उपयोग सब्जी सूप, सलाद, अचार, केचप, फ्रूटी, एवं सास बनाने में किया जाता है। यह विटमिन ए, बी, और सी, का अच्छा स्रोत है। इसके उपयोग से कब्ज दूर होता है।

भूमि का चुनाव- बलुई-दुमट मिट्टी जिसमें जल निकास अच्छा हो टमाटर की खेती के लिये उपयुक्त होती है। भूमि का पी.एच.मान 6 से 7 तक होना चाहिये।

भूमि की तैयारी- दो या तीन बार जुताई करने के बाद बखर चलाकर मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरी बना लेना चाहिये तथा पाटा लगाकर खेत को सममतल बना लेना चाहिये।

जातियां- लक्ष्मी 5005, सुपर लक्ष्मी, काशी अमृत, काशी अनुपम, काशी विशेष, पुसा सदाबहार, अर्का सौरभ, अर्का विकास, अर्का आभा, अर्का विशाल, जवाहर टमाटर-99.

फसल चक्र

- भिण्डी -टमाटर - खीरा,
- बरबटी-टमाटर -करेला,
- खीरा -टमाटर -लौकी

बीज एवं बीजोपचार- टमाटर का बीज 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगता है। नर्सरी में बीज बोने के पूर्व थायरम या डायथेन एम-45 नामक 3 ग्राम दवा की प्रति किलो ग्राम के बीज की दर से उपचारित करें।

रोपणी तैयार करना- पौधशाला की मिट्टी को कीटाणु एवं रोगाणु रहित करना अति आवश्यक है। इसके लिये क्यारियों को सौर ऊर्जा से उपचारित करें। इसमें तैयार क्यारियो (3.5 मी. ग 1.0 मी.) को पोलीथिन शीट से ढंककर करीब 20 से 25 दिन तक रखें। बोवाई के 10 दिन पहले प्रत्येक क्यारियों में 10-20 किलो ग्राम अच्छी सड़ी गोबर की खाद तथा 500 ग्राम 15:15:15 सकुल उर्वरक डालिये। नर्सरी क्यारियों में कतार से कतार 10 से.मी. और बीज की दूरी 5 से.मी. (कतार में) रखते हुये एक इंच की गहराई पर बीज को बोयें। बोवाई के बाद

क्यारियों को कांस अथवा सूखे पुआल से ढंक दे। इसके तुरंत बाद सिंचाई करना चाहिये। आवश्यकतानुसार सिंचाई और पौध संरक्षण करते रहना चाहिये।

पौध रोपाई- अच्छी तरह तैयार खेत में सांयकालीन समय में कतार से कतार 60 से.मी. तथा पौधे से पौधे 30-45 से.मी. दूरी रखते हुये रोपाई करें तथा सिंचाई करें।

खाद एवं उर्वरक

200-250 क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर खाद 50 किलो स्फुर तथा 50 किलो पोटाश प्रति हेक्टर की दर से खेत की तैयारी करते समय डाल देना चाहिये। नत्रजन 100 किलो जिसकी एक तिहाई मात्रा पौधा लगाने के पूर्व तथा बाकी दो तिहाई पौधा लगाने के बाद दो बार में 20 दिन तथा 40 दिन बाद डालना चाहिये। वर्षा ऋतु में नत्रजन की पूरी मात्रा पौधे लगाने के बाद दो बार में 15 दिन तथा 45 दिन बाद डाल देना चाहिये।

सिंचाई- टमाटर की फसल में आवश्यकता होने पर हल्की सिंचाई करें,

आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर फसल पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वर्षा ऋतु में सामान्य वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठण्ड के दिनों 10-12 दिनों के अंतर से तथा गर्मी में 5-6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिये। यदि पाला पड़ने की सम्भावना हो तो खेत की आवश्यक रूप से सिंचाई करें।

निंदाई गुड़ाई

खेत को खरपतवारों से साफ रखने तथा फसल वृद्धि के लिये निंदाई गुड़ाई आवश्यक है। परन्तु यह गुड़ाई करते समय ध्यान रखे कि गुड़ाई उथली हो जिससे पौधे की जड़ों को नुकसान न हो। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन 1.0 किग्रा ए.आई./हेक्टेयर या फ्लुक्लोरालिन 1.0 किग्रा ए.आई./हेक्टेयर को उद्भव पूर्वशाकनाशी के रूप में प्रयोग करें, इसके बाद रोपण के 30 दिन बाद एक बार हाथ से निराई करें।

अन्य कार्य- बरसात में फलों को सड़ने से बचाने के लिये पौधों को बांस या

लकड़ी के सहारे जमीन से ऊपर रखते हैं। पत्तियों पर कैल्सियम अथवा मैग्नीशियम सल्फेट के 0.3 प्रतिशत छिड़काव करने से फल कम फटते हैं। छिड़काव पौधे लगाने के एक महीने बाद दो बार 15 दिन के अंतर से करना चाहिये।

फल तुड़ाई- टमाटर के फलों की तुड़ाई उसके उपयोग के अनुसार करना चाहिये।

(1) परिपक्व हरे फलों को दूर बाजार में भेजने के लिये तोड़ना चाहिये।

(2) पिक स्टेज के फलों को लोकल बाजार में भेजने के लिये तोड़ना चाहिये।

(3) पके फलों को घर में उपयोग के लिये तोड़ना चाहिये।

(4) पूरी तरह पके फलों को तभी तोड़े जब फल 24 घण्टे में संरक्षित पदार्थ बनाने में उपयोग हो।

उपज- टमाटर की उपज, किस्म, भूमि के प्रकार, सिंचाई, रोपाई के समय, पौध संरक्षण और कीट एवं बीमारियों के प्रकोप पर निर्भर करती है। समान्यतः टमाटर की औसतन उपज 200-300 क्विंटल प्रति हेक्टर मिलती है।

सहकारिता विभाग के नव नियुक्त सहायक आयुक्तों हेतु न्यायिक कार्यों के निष्पादन सहकारिता अधिनियम एवं नियमों के संबंध में प्रशिक्षण का आयोजन



भोपाल। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म प्र के निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के द्वारा सहकारिता विभाग के नव-नियुक्त सहायक आयुक्तों हेतु "न्यायिक कार्यों के निष्पादन सहकारिता अधिनियम एवं नियमों" के संबंध में प्रशिक्षण दिनांक 22/04/2024 को श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक म.प्र. सहकारी राज्य संघ के मार्गदर्शन

में शुभारंभ किया गया। श्री संजय सिंह, महाप्रबंधक ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सहकारिता विभाग के अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ श्री प्रदीप निखरा से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 03 से 18, 31 से 47, 58 से 63 एवं 69 से 72 तक

एवं नियम 03 से लेकर 12, 22 से 33, 50 से 51, 57 से 58, तक एवं संबंधित अधिसूचनाएं जिसमें धारा - 3. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी, 4. सोसाइटीयां जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी, 5. परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटीयों का रजिस्ट्रीकरण, 6. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें, 7. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और फीस, 8. कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार

की शक्ति, 9. रजिस्ट्रीकरण, 9 ए/ए. विद्यमान सहकारिताओं की व्यावृत्ति। 10. सोसाइटीयों का वर्गीकरण, 11. सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन, 12. उपविधियों के संशोधन के लिये निदेश देने की शक्ति, 13. नाम की तब्दीली, 14. कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चयक साध्य होना, 15. सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में

तब्दील किया जाना, 16. सोसाइटीयों का पुनर्गठन, 16-ए/क. सोसाइटीयों द्वारा सहयोग, 16-बी/ख सोसाइटीयों की भागीदारी, 17. दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या ठहराव तथा सोसाइटीयों का पुनर्निर्माण, 17-ए/क. अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही तथा उनका दायित्व, 17-बी/ख. डिपॉजिट इन्श्योरेंस कारपोरेशन को प्रतिसंदाय करने का नवीन बैंकों (शेष पृष्ठ 7 पर)

(पृष्ठ 6 का शेष)

सहकारिता विभाग के नव नियुक्त सहायक आयुक्तों

का दायित्व, 18. रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, 18-ए/क. सोसाइटीयों के रजिस्ट्रीकरण का समाप्त किया जाना, 31. सोसाइटीयों निगमित निकाय होंगी, 32. सोसाइटी का पता तथा नाम का संप्रदर्शन, 33. सदस्यों का रजिस्टर, 34. सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों का सबूत, 34-ए/क. सोसाइटी सदस्यों को पास-बुक देगी, 35. लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट, 36. उधार लेना, 37. उधारों के दिये जाने पर निर्बन्धन, 37-ए/क. लुप्त. 38. सदस्येतर व्यक्तियों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बन्धन, 39. सदस्यों के अंश या हित की बाबत भार एवं मुजराई. 40. कतिपय आस्तियों पर सोसाइटी का पूर्विक वावा. 41. कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटीयों का प्रथम भार. 41-ए/क. स्थावर संपत्ति का अर्जन तथा व्ययन करने का सोसाइटी का अधिकार, 42. कतिपय दशाओं में सोसाइटी के दावे की पूर्ति करने के लिये वेतन में से कटौती, 43. निधियां तथा लाभ, 43-ए/क. लाभों का विनियोजन, 43-बी/व. घाटे के लिए दायित्व, 44. निधियों का विनिधान, 45. सोसाइटीयों को राज्य सहायता का मंजूर किया जाना, 46. कर्मचारियों की भविष्य निधि, 47. संघीय सोसाइटी से सम्बद्ध किये जाने के निदेश देने की शक्ति, 47-ए/ए. शीर्ष समाज, 58. संपरीक्षा तथा संपरीक्षा फीस, 58-बी/ख. किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रक्रिया, 56. जांच, 56-ए/क. जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्तव्य, 60. सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण, 61. त्रुटियों की परिशुद्धि, 62. जांच के खर्चे, 63. लुप्त, 63-ए/ए. कार्यवाही आदि पर व्यय, 69. सोसाइटीयों का परिसमापन, 69-बी/व. बीमाकृत बैंक के मामले में निक्षेप वीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम का पुनर्भुगतान, 70. समापक की नियुक्ति, 72. समापित सोसाइटीयों की अधिशेष आस्तियों का व्ययन, अध्याय आठ-ए/क - सहकारी गृह निर्माण सोसाइटीयों के लिये विशेष उपबंध 72-बी/ख. भू-खण्ड, भवन और सुख सुविधाओं के लिए सदस्य की हकदारी तथा व्यय का दायित्व, 70-ए/क. समापक का नियंत्रण, 71. समापक की शक्तियां. 66-ए/क. सहकारी बैंक का परिसमापन, 72-ए/क. अध्याय का लागू किया जाना, 72-सी/ग. गृह निर्माण सोसाइटी की सदस्यता पर निर्बन्धन, 72-ई/ड. अपराधों के लिए शास्तियां पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री उमेश तिवारी संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं उप सचिव राज्य निर्वाचन प्राधिकरण विषय विशेषज्ञ द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 19 से 23, 52 से 57, 67 से 68, 73 से 76 एवं 88 से 96 तक एवं नियम 13 से 17, 42 से 49, 52 से 56,

59 से 61 एवं 75 से 78 तक संबंधित अधिसूचनाएं जिसमें धारा - 19 व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे, 19-ए/क. सदस्य की निरर्हताएं, 19-बी/ख. पश्चातवर्ती नियोग्यताओं का प्रभाव, 19-सी/ग. सदस्यों का निष्कासन, 20. नाममात्र के सदस्य, 20-ए/क. सदस्यों, संचालक मंडल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के लिए सहकारिता का प्रशिक्षण, 21. जब तक सम्यक् संदाय न कर दिये जाये सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, 22. सदस्यों के मत, 23. मत का प्रयोग करने की रीति 52. सरकारी नामनिर्देशितियों को नियुक्त करने की शक्ति, 52-ए/क लुप्त. 53. संचालक मंडल का अतिष्ठान, 52-बी/ख. लुप्त, 53-ए/क. कार्यभार ग्रहण किया जाना, 53-बी/व. कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी कुछ और अन्य 53-सी/ग. सहकारी बैंक के अधिकारी का हटाया जाना को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति, 54. प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति. 55. सोसाइटीयों में नियोजनों की शर्तों का अवधारण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति, 56. बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति, 57. अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति, 57-ए/क. अभिलेख तथा संपत्ति का कब्जा लेना, सहकारी समितियाँ, अध्याय पांच-ए/ए सहकारी सोसाइटीयों के निर्वाचन का संचालन 57-बी/ब. संचालक मंडल का निर्वाचन, 57-सी/ग. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, 57-डी/घ. प्राधिकारी के कृत्य, 57-ई/3. निर्वाचन व्यय, पर्यवेक्षण 57-एफ/च. निदेश जारी करने की शक्ति. 73. शब्द "सहकारी" के प्रयोग का प्रतिषेध. 74. अपराध. 75. अपराधों के लिये शास्तियां. 76. अपराधों का संज्ञान. 88. सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये परित्राण. 89. सिविल न्यायालयों की शक्तियां. 90. रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति कतिपय प्रयोजनों के लिये सिविल न्यायालय होगा. 91. लुप्त. 92. कंपनी अधिनियम लागू नहीं होगा. 63. कतिपय अन्य अधिनियम सहकारी सोसाइटीयों को लागू नहीं होंगे. 64. वादों में सूचना देना आवश्यक होगा. 65. नियम बनाने की शक्ति. 96. निरसन और व्युत्क्रमण पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री अविनाश सिंह से नि वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक विषय विशेषज्ञ द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 24 से 30, 48 से 51, 77 से 80 एवं 84 से 87 तक एवं नियम 18 से 21, 34 से 41, 59 से 61 एवं 75 से 78 तक संबंधित अधिसूचनाएं जिसमें धारा - 24. किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बन्धन. 25. अंशों या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन. 26. सदस्य

की मृत्यु हो जाने पर हित का अन्तरण. 27. अंश या निक्षेप या. हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा. 28. पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों के अधिकार. 26. भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपदा का दायित्व. 30. सदस्यों का दिवाला, 48. सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार. 46-ई/ड. कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक 48-ए/क. विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निरर्हताएं. 48-ए/क. संचालक मंडल की सदस्यता के लिये और प्रतिनिधित्व करने के लिये निरर्हता. 48-बी/ब. प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त. 48-सी/ग. संचालक मंडल की शक्तियां. 46. वार्षिक साधारण सम्मेलन. 46-ए/क. लुप्त. 46-सी/ग. लोकहित आदि में निदेश देने की सरकार की शक्ति. 46-डी/घ. विनियम बनाने के निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति. अधिकारी की नियुक्ति. 50. विशेष साधारण सम्मेलन. 50-ए/क. सोसाइटी के संचालक मंडल या प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिये निरर्हता. 51. कार्यों का विधिमान्यकरण. 49-बी/ब. संचालक मंडल की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी संचालक मंडल द्वारा बातिलीकरण. 50-ए/क. लुप्त. 51 - कार्यों का विधिमान्यकरण 77. म. प्र. राज्य सहकारी अधिकरण. 77-ए/क. पुनर्विलोकन. 77-बी/ख. अधिकरण सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा. 78. रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें. 78-ए/क. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना. 79. कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा. 80. मामलों का अंतरण या प्रत्याहरण. 80-ए/क. अधीनस्थ अधिकारियों और सोसाइटी के संचालक मंडल की कार्यवाहियां मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति. 80-बी/ख. लम्बित मामलों का अन्तरण. 84. भार का प्रवर्तन. 84-ए/क. कतिपय सोसाइटीयों को शोध राशियों की वसूली. 85. आदेशों आदि का निष्पादन. 85-ए/क. स्थावर संपत्ति का कब्जा देने के आदेश को निष्पादित करने की रीति. 86. सूचना की तामील. 87. रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी आदि, लोकसेवक होंगे पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री अरूण मिश्रा संयुक्त आयुक्त विषय विशेषज्ञ द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 81 से 83 तक एवं नियम 75 से 78 तक धारा 81. सरकार को शोध राशियों की वसूली. 81-ए/क. सहकारी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने की किसी वित्तदायी बैंक की शक्ति. 82. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन. 84. भार का प्रवर्तन. 84-ए/क. कतिपय सोसाइटीयों को शोध राशियों की वसूली. 85. आदेशों आदि का निष्पादन. 85-ए/क. स्थावर संपत्ति का

कब्जा देने के आदेश को निष्पादित करने की रीति. 86. सूचना की तामील. 83. खर्च की वसूली. पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री डी के सक्सेना वरिष्ठ अधिवक्ता विषय विशेषज्ञ द्वारा म.प्र.- सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 64 से 66 तक एवं नियम 75 से 78 तक धारा 64. विवाद. 65. सीमा 66. विवाद का निपटारा. पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री चंद्रेश कुमार खरे सेवानिवृत्त जिला जज, अध्यक्ष (सहकारी अधिकरण) विषय विशेषज्ञ द्वारा सहकारी न्यायिक ढांचा एवं विभिन्न सहकारी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री पी डी मिश्रा से.नि. अपर आयुक्त विषय विशेषज्ञ द्वारा भारत में न्यायिक प्रणाली पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा सहकारिता के अंतर्गत उदभूत प्रमुख न्यायिक प्रकरण-विषय एवं प्रकृति, सहकारिता अधिनियम 1960 में न्यायालयीन कार्यवाही के निराकरण से संबंधित प्रावधान, धारा-58बी में प्रस्तुत प्रकरण पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री प्रदीप निखरा से.नि. संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में न्यायालयीन कार्यवाही की प्रक्रिया, धारा - 64 एवं 65 में प्रस्तुत विवाद एवं परिसीमा पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री उमेश तिवारी संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं उप-सचिव सहकारी प्राधिकरण विषय विशेषज्ञ द्वारा न्यायालयीन प्रकरण का पंजीयन एवं ग्राहिता के निर्धारण की प्रक्रिया, धारा 19 एवं 55 के प्रकरण पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

श्री अरूण मिश्रा संयुक्त आयुक्त सहकारिता विषय विशेषज्ञ द्वारा धारा - 84 में प्रस्तुत प्रकरण एवं उनका निराकरण पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का सत्र समन्वयक श्रीमति रेखा पिप्पल, लेखाधिकारी म. प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा सभी सत्रों का संचालन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री जी.पी. माझी प्राचार्य, श्रीमति मीनाक्षी बान कम्प्यूटर व्याख्याता, श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक, श्री धनराज सैदाणे, श्री विनोद कुशवाहा, श्री मो. शाहिद खान श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक का विशेष सहयोग रहा।

पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए MPTAASC Portal एवं NIC 2-0 पोर्टल पर आवेदन करें वर्ष 2022-23 के लिए 30 अप्रैल एवं 2023-24 के लिए 15 मई निर्धारित

सीहोर : जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं शैक्षणिक सत्र 2022-23 एवं 2023-24 के लिये MPTAASC पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना (नवीन एवं नवीनीकरण) के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 30 अप्रैल 2024 तक तथा वर्ष 2023-24 के लिये 15 मई तक आवेदन करने की सुविधा MPTAASCportal एवं NIC 2-0 पोर्टल पर आवेदन के लिए एडमिशन डाटा अपलोड करने की सुविधाएं प्रदान की गई है।

जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग ने जानकारी दी कि सभी संबंधित संस्थायें यह सुनिश्चित करें कि उनकी संस्था में अध्ययनरत कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित न रहे। निर्धारित नवीन तिथि तक अनिवार्यतः समस्त पात्र विद्यार्थियों से एप्लाई कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित समय-सीमा के बाद कोई भी विद्यार्थी आवेदन करने से छूट जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बंधित संस्था, विद्यार्थी की होगी जिन संस्थाओं द्वारा समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण नहीं की जावेगी उन सभी संस्थाओं की जवाबदेही तय की जाकर कार्यवाही की जावेगी।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित हायर डिप्लोमा इन को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट के प्रतिभागियों का अध्ययन भ्रमण सम्पन्न



भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (HDCM) के कोर्स का संचालन श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक एवं श्री संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक राज्य संघ के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (HDCM) के कोर्स का चतुर्थ सत्र ऑनलाइन किया गया है। कोर्स के माध्यम से सहकारिता की विस्तृत जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को दी जा रही है तथा अध्ययन भ्रमण भी इस कोर्स का एक

अहम भाग है।

अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के तहत दिनांक 22/04/2024 को झरनेश्वर नागरिक सहकारी बैंक बिट्टल मार्केट भोपाल एवं म.प्र.मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भदभदा रोड, भोपाल में एवं दिनांक 23/04/2024 को बी.एच.ई.ई. एल. थ्रिप्ट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी भेल, पिपलानी भोपाल एवं विंध्य हर्बल बरखेड़ा पठानी भोपाल में कराया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के प्राचार्य श्री दिलीप मरमत द्वारा जिला सहकारी संघ मर्यादित इंदौर, परस्पर सहायक को-ऑपरेटिव बैंक लि0 इंदौर, सहकारी शीतगृह

संस्था राऊ एवं बी-पैक्स राऊ का अध्ययन भ्रमण कराया गया।

इस पाठ्यक्रम का संचालन श्री गणेश प्रसाद मांझी प्राचार्य एवं ए.के.जोशी पूर्व प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल द्वारा कराया गया। जिसमें सत्र समन्वयक श्रीमति मीनाक्षी बान कम्प्यूटर व्याख्याता सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक की अहम भूमिका रही। श्री धनराज सैदाणे, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री विनोद कुशवाह, श्री मो.शाहिद का विशेष सहयोग रहा।